राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

प्री–2016 के आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बाबत्

सूचना

राजस्थान सरकार के सभी प्री–2016 के पेंशनर्स को यह सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार ने प्री 01.01.2016 के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन संशोधन के लिये दिनांक 06.06.2018 व दिनांक 05.10.2018 को मेमोरेण्डम जारी किया था जिनके अनुसार दिनांक 01.01.1991 से पूर्व सेवानिवृत पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के पेंशन रिविजन का कार्य पेंशन विभाग के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा तथा दिनांक 01.01.1991 से दिनांक 31.12.2015 तक सेवानिवृत पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के पेंशन रिविजन का कार्य संबंधित कोष कार्यालय के द्वारा संपादित किया जा रहा है।

अतः प्री–2016 के उन पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स जिन्होने अभी तक आवेदन प्रस्तुत नहीं किये है, से अनुरोध है कि दिनांक 01.01.1991 से पूर्व सेवानिवृत पेंशनर्स के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पेंशन रिविजन हेतु अपने आवेदन पेंशन विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में तथा दिनांक 01.01.1991 उसके पश्चात् दिनांक 31.12.2015 तक सेवानिवृत पेंशनर्स के पेंशन/पारिवारिक पेंशन रिविजन हेतु अपने आवेदन संबंधित कोष कार्यालय में दिनांक 30.09.2019 तक अवश्यमेव प्रस्तुत कर देवें।

निदेशक